भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4144

दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम

4144. श्री रवनीत सिंहः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने की कोई योजना है;

(ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले बच्चों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में इन कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 में विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए उनकी रूचि और योग्यता के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम यथा "बाल संरक्षण सेवाएं" (सीपीएस) (भूतपूर्व समेकित बाल संरक्षण स्कीम) को कार्यान्वित कर रहा है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल और संरक्षण है। जेजे अधिनियम के तहत निर्मित किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपायों के लिए मानकों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीपीएस में 18 वर्ष की आयु के पश्चात् "आफ्टर केयर" के लिए भी प्रावधान है, ताकि उन्हें संस्थागत जीवन से स्वतंत्र जीवन में प्रवेश करने के उस परिवर्तन काल के दौरान स्वयं को संभालने में मदद मिल सके । यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी द्वारा आफ्टर केयर कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु धनराशि प्रदान करती है, जो राज्य में जिलों की संख्या पर निर्भर करती है यथा

I. 15 लाख रुपये उन राज्यों को जहां जिलों की संख्या 15 से कम है ।
II. 30 लाख रुपये उन राज्यों को जहां जिलों की संख्या 15 से अधिक लेकिन 30 से कम है ।
III. 45 लाख रुपये उन राज्यों को जहां जिलों की संख्या 30 से अधिक है ।

मंत्रालय यह आंकड़ा नहीं रखता कि कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि जेजे अधिनियम और स्कीम को कार्यान्वित करने का प्रमुख दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है ।

*****